।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

राजस्व अपील संख्या 6/2014

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेंट्स
01. श्री गोरधनराम पुत्र श्री गुमानाराम 02. श्री नीम्बाराम पुत्र श्री गुमानाराम जाजि जाट निवासी कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर हाल निवसी हरियासर राजमथाई तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 03. श्री चेतनराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट 04. श्री जोधाराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट 05. श्रीमती धापूदेवी पत्नी राउराम जाति जाट 06. श्रीमती बालीदेवी पत्नी बागाराम जाति जाट निवासी बांगड़वा की ढाणी निवासी हरियासर राजमथाई तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर		01. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत 02. श्री भीमसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत 03. श्री महासिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत निवासीयान हरियासर राजमथाई तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 04. श्रीमती चन्द्रकंवर बेवा स्व0 श्री सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी लखासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 05. श्रीमती अमृत कंवर पत्नी श्री रूपसिंह जाति राजपुत निवासी तेजमालतां तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर । 06. श्रीमती अगर कंवर पत्नी श्री प्रयागसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर । 07. सरपंच ग्राम पंचायत राजमथाई तहसील भणियाणा । 08. तहसीलदार भणियाणा

उपस्थिति :

1. श्री ए.आर. मेहर वकील अपीलान्ट
2. श्री हरिसिंह भाटी, वकील रेस्पोडेंट सं. 1 से 3
3. श्री किसनसिंह भाटी रेस्पोडेंट सं. 4 से 6
4. पैरोकार राज वास्ते रेस्पोडेंट सं. 8

निर्णय **दिनांक : 25.08.2015**

1. वकील अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध तहसीलदार भणियाणा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 7/ 2013 श्रीमती चन्द्र कंवर वगैरा बनाम सरपंच राजमथाई वगैरा म्यूटेशन रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार भणियाणा द्वारा निर्णय दिनांक 09.01.2014 को पारित आदेश से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की है। अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपीलान्टगण द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप अपील न्यायालय में सब्जेक्ट टू लिमिटेशन के दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये गये। अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 7 बावजूद सम्मन तामीली के अनुपस्थित रहा है। अपील में अपीलान्टगण के आवेदन पत्र पर सुनवाई के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2014 की अनुपालना एवं मौके तथा रेकर्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक कायम रखने का आदेश दिनांक 24.03.2014 को पारित किया गया। उक्त आदेश को न्यायालय द्वारा समय – समय पर बढ़ाया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित मूल म्यूटेशन एवं अन्य रेकर्ड तलब किया गया। पक्षकारों की बहस दिनांक 07.07.2015 को सुनी गई।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम राजमथाई के नवसृजित ग्राम हरियासर के खसरा नम्बर 1444 रकबा 21.11 बीघा, खसरा नम्बर 1608 रकबा 38.14 बीघा, खसरा नम्बर 1428 रकबा 136.06 बीघा, खसरा नम्बर 1464 रकबा 16.15 बीघा, खसरा नम्बर 1472 रकबा 172.16 बीघा, खसरा नम्बर 1517 रकबा 14.07 बीघा, कुल रकबा 400.09 बीघा भूमि मंगल सिंह व सगत सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी, मंगलसिंह फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 122 भरा गया जिसमें मंगल सिंह के

जिला कलक्टर

पुत्रों रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तकरण भरा गया, मंगल सिंह की पुत्रियों के नाम नामान्तकरण में नहीं भरा गया जिस पर रेस्पोडेंटगण संख्या 4, 5, 6 ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नामान्तकरण के विरूद्ध अपील संख्या 12/ 2011 करवाई जिस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा अपील म्याद के बिन्दु पर दिनांक 29.12.2011 को अपील खारिज कर दी। जिसकी द्वितीय अपील रेस्पोडेंटगण संख्या 4, 5, 6 द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में की गई, जिस पर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 14.06.2012 को अपील आंशिक स्वीकार कर म्याद के बिन्दू तय कर अपील म्याद में मानते हुए मैरिट पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड तहसीलदार पोकरण को किया। तहसीलदार पोकरण द्वारा हरियासर भणियाणा तहसील क्षेत्राधिकार का होने से उक्त प्रकरण भणियाणा तहसीलदार को विधिवत सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षों को सुनकर अपने निर्णय व आदेश दिनांक 09.01.2014 के तहत स्व0 मंगल सिंह के तीनों पुत्रों व तीनों पुत्रियों के नाम नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश दिए।

3. अपीलान्टस ने न्यायालय तहसीलदार भणियाणा के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त निर्णय की भूमि में खसरा नम्बर 1428 रकबा 88.06 बीघा भूमि का बेचान सगत सिंह व भंवर सिंह ने दिनांक 07.10.1976 को चेतनराम को कर कब्जा दिया, चेतनराम का वर्षो कब्जा, काश्त, सपरिवार रहवास रहा, फिर चेतनराम द्वारा दिनांक 09.09.2009 को 21.08 बीघा भूमि जोधाराम को बेची तथा दिनांक 09.09.2009 को ही चेतनराम ने 21.08 बीघा भूमि श्रीमती धापू को बेची फिर दिनांक 09.09.2009 को ही उक्त खसरा नम्बर 1428 की 21.08 बीघा भूमि श्रीमती बाली देवी को जरिये बेचान किया तब से अपीलांटगण सपरिवार काबिज है, राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। अपीलांट नीम्बाराम द्वारा खसरा नम्बर 1428 / 2114 की 24 बीघा भूमि गोरधनराम को दिनांक 15.06.2011 को जरिये रजिस्ट्री बेचान की जो भूमि नीम्बाराम ने दिनांक 07.10.1976 को 48 बीघा भूमि सगतसिंह व भंवर सिंह से खरीदशुदा थी। इस प्रकार सभी अपीलांटगण का वास्तविक व भौतिक कब्जा सपरिवार रहवास रहा है राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बतौर खातेदार रहा है, ऐसे में दर्ज पक्षकार, काबिज पक्षकार को सुने बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकुल अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो निर्णय अपास्त योग्य है।

4. इस संबंध में रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 3 के द्वारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में कानूनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील जो तहसीलदार भणियाणा के आदेश के विरूद्ध की गई है, उक्त अपील को सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं होकर संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है, इस कारण अपीलान्ट की अपील बिना क्षेत्राधिकार की होने से खारिज की जावें। रेस्पोडेन्टस संख्या 4 से 6 के द्वारा भी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में भी इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील जो तहसीलदार भणियाणा के आदेश के विरूद्ध की गई है, उक्त अपील को सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं होकर संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है, इस कारण अपीलान्ट की अपील बिना क्षेत्राधिकार की होने से खारिज की जावें।

5. अपील में वकील रेस्पाडेंट के द्वारा प्रस्तुत सुनवाई के संबंध में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रस्तुत कानूनी आपत्ति के संबंध में पक्षकारों की बहस सुनी गई एवं कानूनी बिन्दुओं एवं न्यायालय में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। वकील अपीलांट के द्वारा निवेदन किया गया कि इस मामले में तहसीलदार भणियाणा के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का है, अतः वकील रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 6 के द्वारा इस संबंध में न्यायालय में न्यायिक दृष्टान्त दुर्गाशंकर बनाम कैलासी बाई आरआरडी 1997 पृष्ठ 197, विमल कुमार बनाम महावीर प्रसाद व अन्य आरआरडी 2010 पृष्ठ 614 एवं अन्य न्यायिकं दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त दृष्टान्त इस मामले में पूर्णतया लागू होते हैं, अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

6. प्रस्तुत अपील में स्वीकृत तथ्य इस प्रकार से है किं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 6 के पिता मंगल सिंह एवं उनके चाचा सगत सिंह के वारिस (उत्तराधिकारी) होने से उनके विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के पक्ष में तस्दीक किया गया। इसके विरूद्ध अपील रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण में प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय के द्वारा म्याद के बिन्दु पर खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें अपील न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2012 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 122 विधि सम्मत नहीं होने से एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण के निर्णय दिनांक 29.11.2011 को म्याद के बिन्दु पर अपील खारिज करने के निर्णय को विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर मामला न्यायालय तहसीलदार को मृतक खातेदार मंगल

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

सिंह के विधि वारिसान की जांच कर दोनों पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे में नामान्तकरण निस्तारण की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा भी नामान्तकरण संख्या 122 के संबंध में इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है कि खसरा नम्बर 1428 रकबा 88.06 बीघा भूमि का बेचान सगत सिंह व भंवर सिंह ने दिनांक 07.10.1976 को चेतनराम को कर कब्जा दिया, चेतनराम का वर्षो कब्जा, काश्त, सपरिवार रहवास रहा, फिर चेतनराम द्वारा दिनांक 09.09.2009 को 21.08 बीघा भूमि जोधाराम, दिनांक 09.09.2009 को ही चेतनराम ने 21.08 बीघा भूमि श्रीमती धापू, दिनांक 09.09.2009 को ही उक्त खसरा नम्बर 1428 की 21.08 बीघा भूमि श्रीमती बाली देवी को बेचान किया। अपीलांट नीम्बाराम द्वारा खसरा नम्बर 1428 / 2114 की 24 बीघा भूमि गोरधनराम को दिनांक 15.06.2011 को जरिये रजिस्ट्री बेचान की जो भूमि नीम्बाराम ने दिनांक 07.10.1976 को 48 बीघा भूमि सगतसिंह व भंवर सिंह से खरीदशुदा थी। भूमि में भी रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 6 के नाम इन्द्राज कर लिया गया जो विधि विधान न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारों ने विवादित भूमि के संबंध में स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तकरण को चुनौती दी है। इससे स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण विवादित है एवं ऐसे विवादित नामान्तकरण का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार को है।

7. वर्तमान प्रकरण में विवादित नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार 75 (1) (एफ) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निदेशक भू अभिलेख को है। निदेशक भू अभिलेख की शक्तियाँ संभागीय आयुक्त / अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्रदत्त की हुई है। इस मामले में वकील रेस्पोडेंटस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस मामले में पूरी तरह चस्पा होते है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भणियाणा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2014 के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त / अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर (संभागीय आयुक्त द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार) को है। अतः इस मामले में वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के द्वारा इस न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रस्तुत की गई कानूनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसार वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील उसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटाई जाने का आदेश पारित किया जाता है। पक्षकार अपना – अपना व्यय स्वयं वहन करें।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

D.V. Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 25.08.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

D.V. Sharma
जिला कलक्टर
जैसलमेर